राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1452, 1453 व 1454/2013/भीलवाड़ा

वणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा। .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स यश मोटर्स, भीलवाड़ा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04.12.2014

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त तीन अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक **08.02.2013** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो क्रमशः **अपील संख्या 52, 53 व 54/वैट/2012–13** के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक **04.06.2012** के जरिये अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति क्रमशः **रू.1,944/–, रू.2,12,766/– व रू. 3,67,912/–** को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है ।

चूंकि तीनों प्रकरणों के विवादित बिन्द व तथ्य समान है । अतः तीनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी मारूति उद्योग लिमिटेड से वाहन क्रय कर ग्राहकों को विक्रय करता है। ग्राहकों की पसंद के अनुसार रंग, मॉडल व माल की डिलीवरी जल्दी देने आदि के लिये 'Logistic Charges' के नाम से ग्राहकों से इन्वॉयस में अलग से वसूल किये जाते हैं जिसे बहीयात में दर्ज नहीं किया गया है एवम् न ही उक्त पर बनने वाले वैट को राजकोष में जमा करवाया गया है । अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त चार्जेज Logistic Charges नाम से वसूल की गई राशियों को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर व ब्याज आरोपित किये तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत् उपर्युक्तानुसार शास्तियां आरोपित कर, आदेश पारित किया गया ।

उक्त बिन्दू के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने Logistic Charges को Pre delivery charges मानते हुए विक्रय मूल्य का भाग होने के कारण कर, ब्याज की पुष्टि कर, अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह तीन अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उक्त विवादित बिन्दु पर पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि **प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है।** चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:–

(i) **वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)**

(ii) **वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)**

(iii) **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस. टी.सी. 238 (राज.)**

(iv) **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन. टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)**

(v) **मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.) ग**

(vi) **मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)**

(vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]

(ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)

(x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437/2009 से 1439/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी–139,रोड़ नम्बर–12, वी.के. आई.ए.,जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073/2010/जयपुर, 1305 से 1308/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xii)मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन–तृतीय, जयपुर अपील कमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों व विशिष्ट रूप से समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1142 व 1143/2012/अलवर निर्णय दिनांक 31.03.2012 को प्रोद्धरित कर, उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है । लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि **प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है।** चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित हेाने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय

अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं ।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया।

4-12-14

(मदन लाल)
सदस्य